राजस्थान सरकार
वित्त (समन्वय) विभाग

क्रमांक 20 (146)वित्त/समन्वय/2008–पार्ट   जयपुर, दिनांक 27-5-2011

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश 16/17.05.2011 द्वारा शासन सचिव, वित्त (बजट) एंव शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को (प्रथम अपीलीय अधिकारी) मनोनीत किया गया है तथा वित्त विभाग के समस्त विशेषाधिकारी/उप शासन सचिव/संयुक्त विधि परामर्शी को (राज्य लोक सूचना अधिकारी) मनोनीत किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा प्रेषित सूचना के विरूद्ध प्राप्त होने वाली प्रथम अपीलों से संबंधित पत्रावलियां इस अनुभाग में सधारित की जावेगी तथा संबंधित प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाकर समस्त कार्यवाही संपादित की जावेगी किन्तु जो अपीलें वित्त विभाग के अधीनस्थ विभागाध्यक्ष (जो अपने विभाग के राज्य लोक सूचना अधिकारी हैं) के द्वारा प्रेषित सूचना के विरूद्ध पूर्व में प्राप्त अपीलें तथा अब प्राप्त होने वाली अपीलों से संबंधित पत्रावलियां वित्त विभाग के संबंधित प्रशासनिक अनुभाग में ही संधारित की जावेगी तथा उन्हीं के द्वारा समस्त कार्यवाही पूर्व की भांति संपादित की जावेगी।

शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. शासन सचिव, वित्त (बजट)
2. शासन सचिव, वित्त (राजस्व)
3. विशिष्ठ शासन सचिव, वित्त (व्यय)
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग
6. समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारी, वित्त विभाग

विशेषाधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) एवं विकास आयुक्त, जयपुर।
2. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग
3. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर

विशेषाधिकारी